कार्यालय, निदेशक-सह-राज्य अग्निशमन पदाधिकारी, बिहार, पटना।

पत्रांक/ऑडिट- **VA2025A01293**

दिनांक- **31/07/2025**

☏ **0612-2222020**

✉ **sfocumdirector-bih@gov.in**

सेवा में,

Vikas Kumar / St. Paul's High School,
Pathan Toli, Near Anjanpeer Chowk, Hajipur-844101 / Gauspur, Izra, Hajipur 844103, Vaishali, 844101
Email id: spshajipur@gmail.com, Mob No.: 9835264868

विषयः- अग्नि अंकेक्षण प्रमाण-पत्र के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके द्वारा दिनांक **22/04/2025** को अग्नि अंकेक्षण हेतु आवेदन समर्पित किया गया था। अनुमण्डल अग्निशामालय पदाधिकारी **हाजीपुर** द्वारा दिनांक **27/06/2025** को अग्नि अंकेक्षण कर बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021 के नियम 22 (ख) में वर्णित प्रपत्र 'श' निर्गत किया गया। अग्नि अंकेक्षण के दौरान पायी गई कमियों/त्रुटियों का निराकरण किया गया है।

इस प्रकार, बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली 2021 एवं राष्ट्रीय भवन संहिता 2016 के तहत भवन/परिसर में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा के उपाय क्रियाशील एवं पर्याप्त प्रतीत हो रहे है।

अतः आपको वार्षिक अग्नि अंकेक्षण प्रमाण-पत्र निर्गत किया जा रहा है। इसकी वैद्यता दिनांक **26/06/2026** को समाप्त हो जायेगी। संबंधित संस्थान प्रबंधक/मालिक उक्त तिथि से पूर्व अग्नि अंकेक्षण कराना सुनिश्चित करें।

ह०/-
निदेशक-सह-राज्य अग्निशमन पदाधिकारी,
बिहार, पटना।

प्रतिलिपिः-

01. जिला समादेष्टा-सह-जिला अग्निशमन पदाधिकारी, **वैशाली** को सूचनार्थ प्रेषित।
02. अनुमण्डल अग्निशामालय पदाधिकारी, **हाजीपुर** को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

निदेशक-सह-राज्य अग्निशमन पदाधिकारी,
बिहार, पटना।